


कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर/मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर में सी.आर. पी.एफ. के लिए आरक्षित द्वारका अपार्टमेन्ट, मध्यम आय वर्ग-ब (एस+9) के 36 फ्लेट्स, प्रताप अपार्टमेन्ट, (एस+10) उच्च आय वर्ग-प्रथम/द्वितीय के 70 फ्लेट्स एवं चिनाब अपार्टमेन्ट, सेक्टर-28 मध्यम आय वर्ग-अ (जी+3) के 105 फ्लेट्स कुल 211 फ्लेटों को 0-25 प्रतिशत छूट में 13 वर्ष की 156 मासिक किश्तों में ई-सबमिशन/बुधवार नीलामी उत्सव के माध्यम से निस्तारण की स्वीकृति कार्यालय आदेश क्रमांक राआम/मुसप्र/2020/236 दिनांक 07-07-2020 के द्वारा प्रदान की गयी एवं उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जयपुर द्वारा प्रस्तावित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+3) घरोंदा से आगे 8 फ्लेट्स व चिनाब अपार्टमेन्ट, सेक्टर-28 मध्यम आय वर्ग-अ (जी+3) के 35 फ्लेट्स को 0-25 प्रतिशत छूट में 13 वर्ष की 156 मासिक किश्तों में ई-सबमिशन/बुधवार नीलामी उत्सव के माध्यम से निस्तारण की स्वीकृति कार्यालय आदेश क्रमांक राआम/मुसप्र/2020/273 दिनांक 10-07-2020 के द्वारा प्रदान की गयी थी।

आवासन मण्डल के संचालक मण्डल की 243 वीं बैठक दिनांक 21-09-2020 में निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संख्या 243.08 रखा गया। बैठक में प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर/मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर में सी.आर.पी.एफ. के लिए आरक्षित एवं प्रस्तावानुसार अन्य अधिशेष आवास/फ्लेटों को 0-25% स्लेब में ई-सबमिशन (E-Submission) बुधवार नीलामी उत्सव में किराया क्रय पद्धति द्वारा आवंटन/निस्तारण हेतु लिए गये निर्णय की पालना में कार्योत्तर स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

  
(पवन अरोड़ा)  
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर/जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-.....राजस्थान आवासन मण्डल, .....
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., रा0आ0म0, .....
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य सम्पदा प्रबंधक